

सीमा पार दविलयिन की कार्यवाही के लिये मसौदा रूपरेखा

प्रलिमिस के लिये:

दविला और दविलयिपन संहति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, UNCITRAL मॉडल कानून

मेन्स के लिये:

सीमा पार दविलयिपन की कार्यवाही के लिये मसौदा रूपरेखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने [दविला और दविलयिपन संहति](#) (IBC) के तहत UNCITRAL ([अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग](#)) मॉडल के आधार पर सीमा पार दविला कार्यवाही के लिये एक मसौदा ढाँचा प्रकाशित किया है।

- इसे कॉर्पोरेट देनदारों के साथ-साथ व्यक्तिगत गारंटर दोनों के लिये लागू करने का प्रस्ताव है।
- एक व्यक्तिगत गारंटर वह व्यक्तिया संस्था है जो ऋण चुकाने में वफिल कर्सी अन्य व्यक्तिके ऋण के भुगतान का बादा करता है।

प्रमुख बढ़ि

- परिचय:**
 - सीमा पार दविला कार्यवाही:**
 - यह कई न्यायालयों में संपत्ति और देनदारियों वाली संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिये प्रासंगिक है।
 - मोटे तौर पर सीमा पार दविला प्रकारिया उन देनदारों से संबंधित है जिनकी वदिशों में संपत्ति और लेनदार हैं।
 - सीमा पार दविला कार्यवाही के लिये ढाँचा ऐसी कंपनी की वदिशी संपत्तिके स्थान, लेनदारों और उनके दावों की पहचान तथा दावों के भुगतान के साथ-साथ वभिन्न देशों में अदालतों के बीच समन्वय की प्रकारिया की अनुमति देता है।
 - पछिले कुछ दशकों के दौरान विशेष रूप से UNCITRAL मॉडल कानून के तत्त्वावधान में वभिन्न न्यायालयों ने सीमा पार दविला मुद्दों से निपटने के लिये मज़बूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है।
 - आईबीसी में वर्तमान स्थिति:**
 - जबकि वदिशी लेनदार एक घरेलू कंपनी के खलिफ दावा कर सकते हैं, आईबीसी वर्तमान में अन्य देशों में कर्सी भी दविला कार्यवाही की स्वतः मान्यता की अनुमति नहीं देती है।

- महत्व:**
 - IBC में सीमा पार दविला अध्याय को शामिल करना एक बड़ा कदम होगा और यह कानून को प्रपिकव कषेत्राधिकारों के बराबर लाएगा।
 - यह भारतीय फर्मों को वदिशी कंपनियों से अपने बकाया का दावा करने में सक्षम बनाएगा, जबकि वदिशी लेनदारों को भारतीय कंपनियों से ऋण वसूल करने की अनुमति दिएगा।
 - यह भारतीय बैंकों की वदिशी शाखाओं को भारत में अपना बकाया वसूल करने में मदद करेगा।
 - यह भारत में दविला समाधान के विचार में एक घरेलू कॉर्पोरेट देनदार की वदिशी संपत्ति को भी लाएगा और तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान में होने वाली देरी से बचाएगा।

- UNCITRAL मॉडल कानून:**
 - UNCITRAL मॉडल सीमा पार दविला मुद्दों से निपटने के लिये सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढाँचा है।
 - इसे बर्टिन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर समेत 49 देशों ने अपनाया है।
 - मॉडल कानून सीमा पार दविला के चार प्रमुख सदिधार्तों से संबंधित है:
 - डफिलेट करने वाले देनदार के खलिफ घरेलू दविला कार्यवाही में भाग लेने या शुरू करने के लिये वदिशी दविला पेशेवरों और वदिशी लेनदारों तक सीधी पहुँच।
 - वदिशी कार्यवाही की मान्यता और उपचार का प्रावधान।
 - घरेलू और वदिशी अदालतों तथा घरेलू व वदिशी दविला व्यवसायियों के बीच सहयोग।

- वभिन्न देशों में दो या दो से अधिक समवर्ती दविलयि कार्यवाहयों के बीच समन्वय। इस संबंध में मुख्य कार्यवाही 'सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट' (COMI) की अवधारणा दवारा निरिधारित की जाती है।
 - कसी कंपनी के लिये 'सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट' का निरिधारण इस आधार पर किया जाता है कि कंपनी अपने व्यवसाय को नियमित आधार पर कहाँ संचालित करती है और इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान क्या है।
 - यह राज्यों को मध्यस्थित प्रक्रिया संबंधी कानूनों में सुधार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थिता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।
- भारतीय फ्रेमवरक और मॉडल कानून के बीच अंतर:

- जो देश 'UNCITRAL' के मॉडल कानून को अपनाते हैं, वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ बदलाव करते हैं।
- 'भारतीय सीमा पार दविलयि फ्रेमवरक वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सीमा पार दविलयि कार्यवाही के अधीन होने से बाहर करता है, वही कई देश 'सीमा पार दविलयि फ्रेमवरक के प्रावधानों से बैंकों और बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों को छोट देते हैं।'
- 'परी-पैक इन्सॉलवेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस' (PRIP) से गुज़रने वाली कंपनियों को सीमा पार दविलयि कार्यवाही से छोट दी जानी चाहिये क्योंकि PIRP के प्रावधान हाल ही में पेश किये गए हैं और 'परी-पैक मैकेनिज़िम के तहत न्यायशास्त्र अपने प्रारंभिक चरण में है।'
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के त्वरित समाधान के लिये PIRP को इस वर्ष की शुरुआत में IBC के तहत पेश किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग:

- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र परिणामी का मुख्य कानूनी नियमित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में इस उद्देश्य से की गई थी कि यह सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग हेतु मैत्रीपूरण संबंधों को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु एक महत्वपूरण कारक है।
- अपने कई मॉडल कानूनों, कन्वेंशनों, और कार्य समूहों के बीच मञ्ज़बूत वारता के माध्यम से, 'UNCITRAL' ने सदस्य देशों को उनकी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापार कानून के सिद्धांतों की तुलना, जाँच, वारता और उन्हें अपनाने हेतु एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है।
- भारत उन आठ देशों में से एक है, जो 'UNCITRAL' की स्थापना से ही उसके सदस्य हैं।

दविला और दविलयिपन संहिता:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दविला समाधान से संबंधित वभिन्न कानूनों को समाहित करता है।
 - **इन्सॉलवेंसी:** यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्तिया कंपनी अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
 - **बैंकरप्रसी:** यह एक ऐसी स्थिति है जब कसी सक्षम न्यायालय दवारा एक व्यक्तिया संस्था को दविलयि घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय दवारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह कसी कंपनी अथवा व्यक्तिद्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।
- यह दविलयिपन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एक समान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधियां ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस